न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2012RAAJu225RTA119 Kelidevi Vs Manidevi

केलीदेवी पत्नी करनाराम विश्नोई
निवासी सेवागांव तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर ----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. मानीदेवी पत्नी गोरधनराम विश्नोई
2. झमूदेवी पत्नी तुलछाराम विश्नोई
3. बस्तीदेवी पत्नी गोपाराम के कायममुकामान-
   a. सुनील पुत्र गोपाराम विश्नोई
   b. गोपाराम पुत्र जेठाराम विश्नोई
   c. गीता पुत्री गोपाराम विश्नोई
   d. संतोष पुत्री गोपाराम विश्नोई
   e. सुमन पुत्री गोपाराम विश्नोई

   सभी निवासीगण सेवागांव, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर
5. जिला कलेक्टर, जोधपुर -----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ दिनांक 28 मार्च 2011 राजस्व प्रकरण संख्या 30/2009 मानीदेवी बनाम जिला कलेक्टर जोधपुर व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री बी.एल.विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4 व 5

रेस्पो. संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 31अक्तू.,2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर, भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 30/2009 मानीदेवी बनाम जिला कलेक्टर जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 28 मार्च 2011 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा में दिनांक 17 अक्तूबर 2012 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होना तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरुपेण प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी-रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर आराजी खसरा संख्या 324/3 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा सेवागांव पटवार हळका सेवकीकलां तहसील भोपालगढ की खातेदारी का होना जाहिर किया और कथन किया कि इस खेत के पास खसरा संख्या 142 गैरमुमकिन नहर है तथा खसरा संख्या 327 राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है मगर मौके पर उसका स्वरूप खत्म हो चुका है, वक्त सेटलमेण्ट इसका ... राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज

रह गया। जहॉ रास्ता बताया गया है, उस स्थान पर खसरा संख्या 314 व 321 के बीच 5-7 पक्के मकान बहुत पुराने समय के बने हुए है, डेयरी का मकान भी बना हुआ है,सार्वजनिक नलकूप, पाबूजी का मंदिर, पाबूनाडा नामक जलाशय आदि भी स्थित है। वास्तविक पक्की सडक प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 324/3 में बनी हुई है, जो मौके पर काम मे ली जा रही है। इस पक्की सडक के निर्माण के वक्त प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन द्वारा अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या चार तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष आपत्ति की गयी थी, तब बताया गया था कि राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 327 जो रास्ते के रूप में दिखाया गया है, उसकी जमीन आपके खातेदारी के खसरा में ली जा रही जमीन की एवज में नियमन कर देंगे, प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन अनपढ ग्रामीण होने से तथा रास्ते का कार्य सार्वजनिक हित का होने से सरकारी अधिकारियों के आवश्वासन को मान लिया, मगर बाद में उक्त आश्वासन को पूरा नहीं किया गया, और अब उक्त खसरा संख्या 327 की भूमि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन के कब्जे से वापिस ली जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 13 फरवरी 2009 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी-पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश नहीं हुआ, अन्ततः दिनांक 28 मार्च 2011 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है। जो [illegible] 2012 को दर्ज की गयी तथा अंतरिम आदेश जारी

करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 05 दिसम्बर 2012 तक अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये। अदालत हाजा के उक्त आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत निगरानी टीए/5709/2013/जोधपुर मानीदेवी बनाम केलीदेवी दिनांक 08 दिसम्बर 2017 को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए माननीय मण्डल द्वारा अदालत हाजा का उक्त आदेश अपास्त कर मामला अदालत हाजा को सीपीसी की धारा 96 का प्रार्थनापत्र सर्वप्रथम निर्णित करने, फिर सीपीसी के आदेश 41 नियम 3ए के सुसंगत प्रावधानों की पालना में लंबित अपील में मियाद के बिन्दु को तय किये जाने के निर्देश दिये, साथ ही पक्षकारान को अदालत हाजा के समक्ष 29 दिसम्बर 2017 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिये।

माननीय राजस्व मण्डल को निर्देशों के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि खसरा संख्या 315 वाके मौजा सेवागांव अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है जिसके उत्तर दिशा में कटाणी रास्ता खसरा संख्या 327 चलता है और इस रास्ते के पास ही खसरा संख्या 324 की भूमि स्थित है जिसकी खातेदार रेस्पो. संख्या एक से तीन है, जिन्होंने अपने पतियों के साथ मिल कर तारबंदी कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया, अपीलाण्ट ने अपने पति के मार्फत तहसीलदार के समक्ष रास्ते से अवरोध हटाने का निवेदन किया, जिस पर बाद कार्यवाही रास्ता खुलवा दिया गया, मगर दिनांक 18 अगस्त 2009 को रास्ता पुनः बंद कर दिया गया और दुबारा रास्ता खुलवाने की कार्यवाहीं करते हुए दिनांक 21 अगस्त 2012 को ... ने एक प्रार्थनापत्र पेश करवाया, जिस पर तहसीलदार द्वारा

पटवारी को मौका जांच हेतु लिखा गया और रास्ता बंद होने की स्थिति में समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये। इस पर पटवारी द्वारा मौके पर रेस्पो. को बुलाया गया और रास्ता खोलने के लिए कहा, तो रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश की छायाप्रति दिखाई और कहा कि खसरा संख्या 327 बाबत स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। 27 अगस्त 2012 को अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल मंगवाई गयी और तहसीलदार से उक्त आदेश के खिलाफ कार्यवाही किये जाने बाबत निवेदन किया गया, तो तहसीलदार द्वारा इंकार कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित एवं मामले में हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे।

मियाद प्रार्थनापत्र के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। खसरा संख्या 315 वाके मौजा सेवागांव अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है जिसके उत्तर दिशा में चलने वाले कटाणी रास्ता (खसरा संख्या 327) के पास ही खसरा संख्या 324 की खातेदार रेस्पो. संख्या एक से तीन के द्वारा अपने पतियों के साथ मिल कर तारबंदी कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया, जिसे एक बार खुलवाने के बावजूद दुबारा दिनांक 18 अगस्त 2009 को रास्ता पुनः बंद कर दिया जाने और अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार के माध्यम से दुबारा रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करते हुए संबंधित पटवारी के साथ मौके पर जाने और संबंधित पटवारी द्वारा मौके पर रेस्पो. को बुलाया जाकर रास्ता खोलने ... तो रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी

आदेश की छायाप्रति दिखाई जाकर खसरा संख्या 327 बाबत स्थगन आदेश जारी होने की बाबत बताया गया, तब अपीलाधीन आदेश बाबत भान हुआ और फिर दिनांक 27 अगस्त 2012 को अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल मंगवाई गयी तब विधिवत जानकारी हुइ। एवं जानीकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश की गयी है।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा संख्या 142 गैरमुमकिन नहर है तथा खसरा संख्या 326 में से रास्ता है, खसरा संख्या 326 राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता है, जिनका मौके पर कोई अस्तित्व नही है और न इनमें से इनसे रास्ते की आवश्यकता रही है न रास्ते की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों तरफ सडक बनी हुई है। इसलिए जिस भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसका मौके पर जब रास्ते के तौर पर कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है तो अपीलाण्ट, जो कि वादग्रस्त भूमि का बतौर रास्ते के रूप में उक्त आराजी से हितबद्ध पक्षकार होना जाहिर करते है, जब मौके पर यह भूमि रास्ते के लिए उपयोग में ही नहीं आ रही है तो अपीलाण्ट इससे हितबद्ध पक्षकार कैसे हो सकता है।

मियाद प्रार्थनापत्र के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि जब वादग्रस्त आराजी एवं आलौच्य प्रकरण में अपीलाण्ट हितबद्ध ही नहीं है तो उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अतः वर्तमान अपील में अपीलाण्ट द्वारा यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण उसे अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित में जानकारी नहीं हो पायी।

उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों के संबंध में उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने के उपरान्त अदालत हाजा की राय में अपीलाण्ट आलौच्य मामले में अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार पायी जाती है, क्योंकि जो तथ्य एवं परिस्थितियॉ मामले में पायी गयी है, उनका विवेचन करने पर यह एज्युम किया जा सकता है कि बिना हितबद्ध हुए कोई बार-बार विभिन्न अधिकारियों, न्यायालयों आदि में दौडधूप नहीं करेगा। प्रस्तुत मामले में अपील दर्ज की जाकर प्राथमिक स्तर पर दिये गये अंतरिम आदेश के खिलाफ रेस्पो. की ओर से माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गयी, तो अपीलाण्ट द्वारा उसे भी समुचित तौर पर कंटेस्ट किया गया है। राजस्व रिकार्ड मुताबिक खसरा संख्या 327 गैरमुमकिन रास्ता है जो सार्वजनिक रूप से उपयोगी होने से अपीलाण्ट भी हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार ठहरती है। इन सभी परिस्थितियों में अपीलाण्ट इस मामले में हितबद्ध पक्षकार पायी जाती है। अतः धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

साथ ही मियाद प्रार्थनापत्र भी इस आधार पर स्वीकार करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं होने के कारण उसे अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियादशुमार की जाती

तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुंण पर सुनी गयी। गुणावगुण पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट का तर्क है कि स्वयं प्रार्थीगण रेस्पो. के अनुसार मौजा सेवागांव पटवार हळका सेवकीकलां की तहसील भोपालगढ आराजी खसरा संख्या 324/3 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वांके खातेदारी की भूमि है, तथा उसके पास खसरा संख्या 142 गैरमुमकिन नहर है ***तथा खसरा संख्या 327 राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है।*** इसके अलावा खसरा संख्या 315/1, 315/2, व 315/3 भी रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपनी खातेदारी के होना अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 में जाहिर किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 मार्च 2011 खसरा संख्या 324/3, 315/1,2,3 के साथ-साथ खसरा संख्या 327 के संबंध में भी पारित किया है, जो न्यायोचित नहीं है ***क्योंकि खसरा संख्या 327 प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की खातेदारी की भूमि नहीं है।*** अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खसरा संख्या 327 के संबंध में निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 324/3 के पास खसरा संख्या 142 गैरमुमकिन नहर है तथा खसरा संख्या 327 राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है मगर मौके पर उसका स्वरूप खत्म हो चुका है, वक्त सेटलमेण्ट इसका कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज रह गया। जहॉ रास्ता बताया गया है, उस स्थान पर खसरा संख्या 314 व 321 के [illegible] मकान बहुत पुराने समय के बने हुए है, डेयरी का

मकान भी बना हुआ है,सार्वजनिक नलकूप, पाबूजी का मंदिर, पाबूनाडा नामक जलाशय आदि भी स्थित है। वास्तविक पक्की सडक प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 324/3 में बनी हुई है, जो मौके पर काम मे ली जा रही है। इस पक्की सडक के निर्माण के वक्त प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन द्वारा अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या चार तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष आपत्ति की गयी थी, तब बताया गया था कि राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 327 जो रास्ते के रूप में दिखाया गया है, उसकी जमीन आपके खातेदारी के खसरा में ली जा रही जमीन की एवज में नियमन कर देंगे, प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन अनपढ ग्रामीण होने से तथा रास्ते का कार्य सार्वजनिक हित का होने से सरकारी अधिकारियों के आवश्वासन को मान लिया, मगर बाद में उक्त आश्वासन को पूरा नहीं किया गया, और अब उक्त खसरा संख्या 327 की भूमि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन के कब्जे से वापिस ली जा रही है। अतः इस संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेघाज्ञा का दावा पेश किया गया और मूल वाद के निस्तारण तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 का प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोइ त्रुटि नहीं की गयी है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अपील के गुणावगुण के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। खसरा संख्या 327 के संबंध में स्वयं प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की स्वीकारोक्ति के अनुसार उक्त खसरा उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है।

समस्त मामले में कहीं पर भी उक्त खसरा का रकबा कितना है और रेस्पो. संख्या एक से तीन के कथनानुसार जो पक्की सडक निर्मित हुई, उसमें उनकी खातेदारी के खसरा संख्या 324/3 का कितना रकबा प्रयुक्त हुआ तथा वर्तमान में उनका खसरा संख्या 327 के कितने रकबे पर कब्जा है, इस मामले में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना तथ्यों को स्पष्ट किये और राजस्व रिकार्ड में रेस्पो. की खातेदारी में जो खसरा दर्ज ही नहीं है, उसके संबंध में भी स्थगन आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ***अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 मार्च 2011 खसरा संख्या 327 वाके मौजा सेवांगाव पटवार हल्का सेवकी कलां तहसील भोपालगढ के संबंध में निरस्त किया जाता है।*** अन्य खसरा नम्बरान के संबंध में अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर